प्राक्कथन

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखे प्रमाणित करते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

2. सांविधिक निगमों, अर्थात् हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है और विधियों के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद उनके लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस.ए.आर.) जारी करते हैं।

3 इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) के लेखाओं में वर्ष 2019-20 (प्राप्त सीमा तक) तक के लेखे शामिल हैं। एस.पी.एस.ई. के संबंध में, जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 31 दिसंबर 2020 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़ों को अपनाया गया है।

4. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनियों/निगमों या एस.पी.एस.ई.' के सभी संदर्भों को 'राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में माना जाए जब तक कि संदर्भ अन्यथा का सुझाव न दे।